ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029
(Establishment Section (DO)

N o.F.9-411/2018(D.A /P.F)-Estt.

Dated: 24 OCT 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowances to Central Government Employees effective from 01.07.2024 - reg.

****

The undersigned is directed to convey the approval of the Competent Authority for implementing the instruction contained in enclosed OM No. 1/5/2024-E-II (B) dated 21st Oct, 2024 issued by Ministry of Finance, Department of Expenditure on the subject mentioned above which is self explanatory.

Hindi version will follow

24/10/2024

(ANITA TETE)
SR. ADMINISTRATIVE OFFICER

Encl. As above

Financial Advisor
AIIMS, New Delhi

Distribution:

1. The Chief of Centres/Head of Department/Section Units AIIMS, New Delhi
2. The Medical Suerintendent, AIIMS, New Delhi
3. The Sr. Financial Advisor/Financial Advisor/F&CAO AIIMs, New Dehi
4. All The Sr. Administrative/Administrative/Accounts Officer AIIMS, New Delhi
5. The Computer Facility- With a request to upload this on officail website of the Institute
6. The Sr. Hindi Officer- with request to provide the Hindi version for the same for uploading on the AIIMS website

Copy forwarded for information to:

1. PPS/PS to Director/Additional Director (Admn.)/Dy. Secy/CAO, AIIMS, New Delhi

सं. 1/5/2024-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
******

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 21 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन - 01.07.2024 से प्रभावी।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 12 मार्च, 2024 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2024-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता **01 जुलाई, 2024 से मूल वेतन के 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा।**

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता एक विशिष्ट प्रतिपूरक कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अ. साहु

(अभिमन्यु साहु)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।